



(107)

समक्ष व्यायालय श्रीमान राजस्व मण्डल घ्वालियर (म.प्र.)

केम्प ऐट जबलपुर

R 3833 ८१६

पुनरीक्षण क्रमांक

/2016

पुनरीक्षणकर्ता

:-

बेबी बाई, पिता श्री श्याम राव
इंगले, निवासी - तहसील
मोहखेड़ जिला छिन्दवाड़ा,


(196)

विरुद्ध

प्रत्यर्थीगण

:-

1. भाउराव पिता श्री श्यामराव इंगले, जाति कुन्बी, निवासी-शिवपुरी, तहसील परासिया, जिला छिन्दवाड़ा
2. अरुण पिता देवराव इंगले, जाति कुन्बी, निवासी- चादामेटा, तहसील परासिया, जिला छिन्दवाड़ा
3. मोहपत पिता श्यामराव इंगले, जाति कुन्बी, निवासी- ग्राम लिंगा तहसील मोहखेड़, जिला छिन्दवाड़ा
4. प्रमिला पिता श्यामराव पत्नि महादेव राउत, निवासी ग्राम सर्व कुलबहार, तहसील एवं जिला छिन्दवाड़ा
5. मीना पिता देवराव पति धौघरे, कुन्बी, निवासी गायत्री मंदिर के पास बिछुआ, तहसील बिछुआ, जिला छिन्दवाड़ा
6. निर्मला पति सिरपतराव ठाकरे कुन्बी निवासी शोभापुर



अधीक्षक
कायालय कमिशनर, जबलपुर संभाग

महादेव राउत
कुन्बी, निवासी
27/10/16

M

कॉलोनी, मकान नं. 29/35
पाथरखेड़ा, तहसील व जिला
बैतूल।

पुनरीक्षण अन्तर्गत धारा 50 भू-राजस्व संहिता 1959

दिनांक 18/11/2015, को राजस्व पुनरीक्षण क्र.
72/अ 27/2014-15 मे पारित आदेश से व्यथित होकर यह
पुनरीक्षण निम्न तथ्यो एवं आधारो पर प्रस्तुत है :-

पुनरीक्षण के तथ्य

- यह कि, पुनरीक्षणकर्ता का वंशावली सिजरा निम्ननुसार है।
श्यामराव ॥ फौत ॥ (पिता)
॥ पत्नि ॥ द्रौपदी ॥ फौत ॥

.....
भाऊराव देवराव ॥ फौत ॥ मोहपत प्रमिला निर्मला बेबी बाई

.....
| |
अरुण मीना

- यह कि, पुनरीक्षणकर्ता की माँ श्रीमति द्रौपदी बाई ने तहसील मोहखेड़ जिला छिन्दवाडा में भूमि क्रय की गई थी, जो राजस्व रिकार्ड में उसके नाम दर्ज थी।
- यह कि, द्रौपदी बाई ने अपने स्वामित्व की भूमि जो लगभग 9 एकड़ थी, के संबंध में सन् 2007 में एक फर्द बटवारा नामा धारा 178म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 के तहत अपने जीवन काल में बटवारा कर अपने पुत्र मोहपत एवं स्वयं के बीच कराया जिसमे 7.50 एकड़ भूमि मोहपत के नाम से रखी। सन् 2007 के

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - निगरानी-३४३३एक/16

जिला - छिंदवाड़ा

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
25/02/2019	<p>आवेदक की ओर से यह निगरानी कलेक्टर के आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत कलेक्टर द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध सुनवाई आयुक्त द्वारा की जाना है। अतः यह प्रकरण सुनवाई हेतु आयुक्त को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 30.04.2019 को आयुक्त जबलपुर संभाग जबलपुर के समक्ष उपस्थित हों।</p> <p style="text-align: right;"> सुनवाई</p> <p><u>आयुक्त जबलपुर संभाग जबलपुर</u></p>	